परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1		**परियोजना विवरण**				
	A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण –	*जनपद अल्मोड़ा में घुघती–कैलानी से मसमौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 1.044है0 (6.500किमी.)*			
	B.	1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।			
	C.	परियोजना की लागत–	13410 लाख।			
	D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
	E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)–	संलग्न है।			
	F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं–	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।			
2		कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण–	आरक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल भूमि
			–	0.207 है0	0.837 है0	1.044 है0
3		परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हैं–	आवश्यकता नहीं।			
	A.	परिवारों की संख्या–	आवश्यकता नहीं।			
	B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या–	आवश्यकता नहीं।			
	C.	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)–	आवश्यकता नहीं।			
4		क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक हैं। (हाँ/नहीं)	नहीं।			
		प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण–पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।			
6		निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक–

स्थान– रानीखेत

(सतीश चन्द्र आर्य)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत